

# जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली

क्रमांक :- 70

दिनांक :- 03.03.2024

## कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 2 0/डीएस-1/रालसा/2023/20690-20734 दिनांक 17.01.2024 एवं इस कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक 40 दिनांक 07.02.2024 के क्रम में प्राप्त आवेदनों में से साक्षात्कार के उपरान्त सर्वाधिक योग्य पाये गये 14 अभ्यर्थियों को दिनांक 04.03.2024 से 31.12.2024 की अवधि हेतु पेरालीगल वॉलियन्टर्स के पैनल में संयोजित किया जाता है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

मुख्यालय पाली हेतु :-

आवेदन सं.	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	वर्ग	पता
10	पारस थानवी	थानाराम	SC	गुड़ा एन्दला
20	सन्तोष कुमारी	भंवरलाल	SC	रामलीला मैदान, पाली

पंचायत समिति, सोजत हेतु :-

आवेदन सं.	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	वर्ग	पता
1	सोहनलाल	नारायण लाल	SC	झूपेलाव, शिवपुरा
55	सांवल प्रभात व्यास	पूनमचन्द्र व्यास	Gen	ग्राम धूंधला

पंचायत समिति जैतारण हेतु :-

आवेदन सं.	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	वर्ग	पता
21	कैलाश चन्द्र चौहान	मोहन लाल चौहान	SC	जैतारण
30	सर्वेश शर्मा	सुरेश चन्द्र शर्मा	Gen	ग्राम लौटोती
48	भरत कुमार	दिनेश	SC	जैतारण
50	अन्नु सोनी	गोपाल सोनी	OBC	निमाज

पंचायत समिति सुमेरपुर हेतु :-

आवेदन सं.	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	वर्ग	पता
38	लक्ष्मण लाल	रामाराम	OBC	तखतगढ़

पंचायत समिति रानी हेतु :-


आवेदन सं.	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	वर्ग	पता
18	तोलाराम	पीराराम	SC	खौड़, रानी

पंचायत समिति बर हेतु :-

आवेदन सं.	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	वर्ग	पता
42	कैलाश चन्द	दूदाराम	ST	हाल बर
43	जितेन्द्र कुमार	सोहनलाल	OBC	बिरांटिया खुर्द
51	सुरेन्द्र सिंह	बाबूसिंह सांखला	OBC	नई कॉलोनी, बर
52	रुद्र प्रताप सैनी	श्यामलाल सैनी	OBC	358, मेगड़दा रोड़, बर

चयनित पेरालीगल वॉलियन्टर्स निम्नांकित शर्तों के अधीन कार्यरत रहेंगे :-

1. उपरोक्त चयनित पेरालीगल वॉलियन्टर्स का कार्य उक्त अवधि में संतोषजनक होने पर उक्त अवधि के पश्चात् गठित होने वाले पैनल में पुनः संयोजित किया जा सकेगा। इस हेतु अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली का आदेश अंतिम होगा।
2. उक्त सभी पीएलवी दिनांक 14.03.2024 को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रातः 9.00 बजे ए.डी. आर. भवन, जिला न्यायालय, परिसर, पाली में उपस्थित होंगे। अनुपस्थित रहने पर उन्हें बिना सूचना के पैनल से हटाया जा सकेगा एवं अन्य योग्य अभ्यर्थियों को पैनल में संयोजित किया जा सकेगा।
3. चयनित पेरालीगल वॉलियन्टर किसी भी प्रकार से प्राधिकरण के स्थाई/अस्थायी/संविदा कर्मचारी नहीं माने जायेंगे।
4. चयनित पेरालीगल वॉलियन्टर को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा समय-समय पर नियत (फिक्स) मानदेय के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक या पेकेज नहीं दिया जायेगा।
5. पीएलवी की नियुक्ति तथा हटाने से संबंधित सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली के पास सुरक्षित रहेंगे।


  
अध्यक्ष  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
पाली

क्रमांक :- 1636 - 1655

दिनांक :- 03.03.2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है :-

1. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, सोजत/जैतारण/सुमेरपुर/बर/देसूरी।
2. श्री/श्रीमती/सुश्री .....
3. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय पाली को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
अध्यक्ष  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  
पाली